विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में नियमों/विनियमों और संविदा अनुबंधों की शर्तों तथा निबंधनों की गैर-अनुपालना के कारण अवसूली/अल्पवसूली, निश्चित मांग प्रभारों का अनुद्ग्रहण/अल्पोदग्रहण, परियोजनाओं की प्रगति के अपर्याप्त/कमी से युक्त अनुश्रवण आदि से सम्बंधित ₹ 434.81 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से अंतर्ग्रस्त 10 परिच्छेद और 'सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना' (हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित द्वारा निष्पादित) पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित है। कुछ प्रमुख निष्कर्षों का नीचे उल्लेख किया गया है:

1. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बंध में

हिमाचल प्रदेश राज्य में 19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (17 कम्पनियां और दो सांविधिक निगम) और दो अक्रियाशील कम्पनियां थी जिनमें 34,992 कर्मचारी कार्यरत थे। 31 मार्च 2014 को 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश (पूंजी और दीर्घावधि ऋण) ₹ 8,909.84 करोड़ था। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश में 99.12 *प्रतिशत* क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में था और शेष 0.88 *प्रतिशत* अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में था। कुल निवेश में 33.56 *प्रतिशत* पूंजी रूप में और 66.44 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋणों के रूप में सम्मिलित था। इक्विटी 2009-10 में ₹ 1,948.65 करोड़ से बढकर 2013-14 में ₹ 2,990.47 करोड़ हो गई। 2013-14 में कुल निवेश में विद्युत क्षेत्र का योगदान 85.87 *प्रतिशत* से ऊपर था। सरकार ने 2013-14 के दौरान इक्विटी, ऋणों तथा अनुदानों/इमदादों के प्रति ₹ 728.81 करोड़ का अंशदान किया था।

(परिच्छेद 1.1, 1.2, 1.7 से 1.10)

विद्युत क्षेत्र में सुधार

वित्तीय पुनर्संरचना योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत राज्य सरकार ने ऋणों की पुनर्संरचना के निए संदर्भ तिथि 31.03.2012 के विपरीत 31.07.2013 ली है। ₹ 1,398.35 करोड़ (31.03.2012 को संचित हानियां) के प्रति कम्पनी ने राज्य सरकार से वित्तीय पुनर्संरचना योजना के अंतर्गत ₹ 1,462.50 करोड़ की राशि अनुमोदित करवाई थी। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अग्रिम उपदान के भुगतान, नियमित चूककर्त्ताओं के भवनों में प्रीपेड मीटरों के अधिष्ठापन और कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के साथ लेखा को तैयार करने (वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए लेखा को तैयार किया जाना बाकी था) से सम्बंधित विद्युत पुनर्संरचना योजना की प्रमुख आवश्यक शर्तों की अनुपालना नहीं की गई है (नवंबर 2014)।

(परिच्छेद 1.14)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से जिनके लिए लेखा सितंबर 2014 तक प्राप्त हो गए थे, नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 23.62 करोड़ का लाभ अर्जित किया और छः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 646.37 करोड़ की हानि हुई। तीन क्रियाशील सरकारी कम्पनियों ने अपने लाभ तथा हानि लेखा तैयार नहीं किए हैं जबकि एक क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के मामले में आय पर व्यय आधिक्य राज्य सरकार द्वारा पुनर्प्राप्ति योग्य था। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की लाभांश नीति के अनुसार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से राज्य सरकार द्वारा अंशदान किए गए प्रदत्त पूंजीगत शेयर पर पांच *प्रतिशत* की न्यूनतम रिटर्न का भुगतान अपेक्षित है। ₹ 23.62 करोड़ का कुल लाभ अर्जित करने वाले नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से मात्र हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित ने ₹ 1.54 करोड़ का लाभांश घोषित किया था जो कि इसके प्रदत्त पूंजीगत शेयर का 10 *प्रतिशत* था।

(परिच्छेद 1.16 तथा 1.18)

लेखा को अंतिम रूप दिये जाने में बकाया

सितंबर 2014 तक पंद्रह क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास 23 लेखा बकाया था। लेखा और उसके तदनंतर लेखापरीक्षा न होने से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या निवेशों तथा किए गए व्यय की गणना उचित प्रकार से की गई है और जिस उद्देश्य के लिए राशि का निवेश किया गया था, वो प्राप्त हुआ या नहीं। अतः, ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश राज्य विधानसभा की संवीक्षा से बाहर रहा।

(परिच्छेद 1.19 से 1.23)

II. हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित द्वारा निष्पादित 'सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना' की निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रारम्भ में प्राकलित ₹558.53 करोड़ की लागत वाली परियोजना अब ₹5.03 करोड़ से ₹10.50 करोड़ प्रति मेगा वाट तथा ₹2.34 से ₹6.95 प्रति यूनिट लागत की अनुवर्ती वृद्धि सहित ₹606.57 करोड़ की अधिक लागत से अंतर्ग्रस्त जुलाई 2017 तक ₹1,165.10 करोड़ की लागत से पूर्ण की जानी प्रत्याशित है। औसतन ₹3.43 प्रति यूनिट की विक्रय दर की तुलना में प्रत्याशित उत्पादन लागत बहुत अधिक होगी तथा इस दृष्टि से परियोजना आरम्भ होने पर वाणिज्यिक रूप से अव्यवहारिक बन जाएगी।

(परिच्छेद 2.1 तथा 2.7)

भारत सरकार ने ₹491.16 करोड़ के बराबर निधियों का हस्तांतरण किया जो इस परियोजना हेतु राज्य सरकार को एशियन विकास बैंक से 90:10 के अनुपात में अनुदान एवं ऋण के रूप में प्राप्त हुई जिसे राज्य सरकार द्वारा 10 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की दर पर लगने वाले ऋण में परिवर्तित

कर दिया गया था। अनुदान को ऋण में परिवर्तित करने से परियोजना लागत पर ₹126.04 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भार पड़ा।

(परिच्छेद 2.6.2)

अपवर्तन बांध के परिरूप परिवर्तन से परियोजना की समग्र लागत पर ₹100.73 करोड़ का प्रभाव पड़ा।

{परिच्छेद 2.7.2 (i)}

कम्पनी ने ठेका निरस्त करने से पूर्व कार्यों की पूर्णता में विलम्बार्थ ठेकेदार से अनुबन्ध के आधार पर ₹11.59 करोड़ राशि की परिसमापन क्षतियों की वसूली नहीं की।

{परिच्छेद 2.8.2 (iv) (क)}

कम्पनी द्वारा हैड रेस टनल के कार्य के निरसन में विलम्ब के कारण अपवर्तन बांध, अंतर्ग्रहण संरचना तथा अवरोही व्यवस्थाओं एवं विद्युत गृह पैकेजों की दोष देयता अवधि के लाभ की अप्राप्ति के अतिरिक्त जल विद्युत परियोजना को आरम्भ करने में विलम्ब हुआ।

{परिच्छेद 2.8.2(v)}

बोली दस्तावेजों में आपूर्ति की प्रत्येक खेप पर 20 *प्रतिशत* की मूल्य भिन्नता को प्रतिबंधित न करने के परिणामस्वरूप ₹8.79 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(परिच्छेद 2.9.1)

III. लेन-देन की लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन में सम्मिलित लेन-देन लेखापरीक्षा प्रेक्षण राज्य सरकार की कम्पनियों के प्रबंधन में कमियां उजागर करते हैं जिसके गम्भीर वित्तीय संकेत थे। प्रमुख लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का सार निम्नवत् दिया गया है:

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित ने राज्य सरकार द्वारा किए गए आवंटनों के प्रति खुदरा दुकानों/डिपो को खाद्य मदों की कम प्रमात्रा वितरित की। ₹ 14.48 करोड़ मूल्य की खाद्य मदों (अप्रैल 2011 से मार्च 2014) के नमूने जांच में खराब पाए गए तथा प्रतिवेदन तीन से चार महीनों के विलम्ब से प्राप्त हुए। कम्पनी द्वारा दावों को प्रस्तुत करने में विलम्ब के साथ राज्य सरकार द्वारा भुगतान जारी करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप अप्रैल 2010 से मार्च 2014 के दौरान कम्पनी को ₹ 8.80 करोड़ की ब्याज़ हानि हुई।

(परिच्छेद 3.1)

विद्युत आपूर्ति कोड, 2009 के प्रावधानों की अनुपालना में **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित** की असफलता के परिणामस्वरूप ₹1.90 करोड़ के निश्चित मांग प्रभारों की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 3.3)

माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यथा अनुमत निर्धारित समय के भीतर अपने कर्मचारियों को संशोधित वेतन मान बकाया के भुगतान जारी करने में **हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित** की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 37.51 लाख के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

(परिच्छेद 3.8)

हिमाचल प्रदेश सडक एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित ने सड़क की निर्माण सीमा के बाहर सीमांकित भूमि के सम्बंध में भू-क्षतिपूर्ति के भुगतान को रोकने के लिए कार्रवाई नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप भू-मालिकों को ₹ 29.33 लाख का परिहार्य भुगतान हुआ।

(परिच्छेद 3.10)